

इंजीनियर्स
इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)



ENGINEERS
INDIA LIMITED

(A Govt. of India Undertaking)

रजिस्टर्ड ऑफिस / Regd. Office: इंजीनियर्स इंडिया हाऊस / Engineers India House

1, भीकाजी कामा प्लेस / Bhikaji Cama Place, नई दिल्ली / New Delhi - 110066

Phone / दूरभाष : 011-26762121, फेक्स / Fax: 011-26191690

ई-मेल / e-mail: company.secretary@eil.co.in,

वेबसाइट / website: <http://www.engineersindia.com>

सीआईएन / CIN: L74899DL1965GOI004352

NOTICE

Compulsory transfer of Equity Shares of the Company relating to unclaimed dividends to Investor Education and Protection Fund Authority

This Notice is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by Ministry of Corporate Affairs and as amended from time to time as per which the Company is mandated to transfer all the shares in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in respect of which dividends have not been claimed for seven consecutive years or more. Further, as per the IEPF Rules as amended, we regularly upload on website of the Company and that of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, full details of all unpaid or unclaimed dividends.

Section 124(6) of the Companies Act, 2013, requires that all shares, in respect of which dividends have not been paid or claimed for seven consecutive years or more, shall also be transferred to IEPF Authority.

The Company has sent individual communication dated 07.08.2018 to those shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules at their latest available address. The Company has also uploaded the details of such shareholders along with their folio no./DP & client Id and shares due for transfer to IEPF on its website at www.engineersindia.com. Unpaid or unclaimed dividend in respect of Interim Dividend 2010-11 has already been transferred to IEPF, as per above said IEPF Rules.

In case, we do not receive your claim as per the above said communication by 07.11.2018 (IST 5.00 pm), all your relevant shares (whether held in physical or electronic form) will be transferred by the Company to the Demat Account of IEPF Authority within 30 days from the due date of transfer in accordance with the notifications/circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs from time to time, without any further notice.

The shareholders may please note that no claim shall lie against the Company in respect of the shares and dividends thereof credited to the Demat Account of IEPF Authority and subsequent to such transfer of shares to IEPF Authority, all future benefits which may accrue thereunder, including future dividend(s), will be credited to IEPF Authority. You may note that, after the above referred transfer is made, refunds from the IEPF Authority can be claimed only by complying with the provisions of aforesaid Rules and a link in this regard has been given on the website of the Company under Investor Section.

For your ready reference, the provisions of IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, have been made available under the Investor section of Company's website: www.engineersindia.com.

For further clarifications or assistance, you may write to us at:

(i) Mr. Mohd. Mohsinuddin
Senior Manager
Unit: Engineers India Limited
Karvy Computershare Private Limited
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32,
Gachibowli Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad-500 032.
Email ID: mohsin.mohd@karvy.com
Tel: 040-6716 1562

(ii) Mr. Narendra Kumar
Compliance Officer
Engineers India Limited
EI House, 1, Bhikaji Cama Place
New Delhi-110066
Email ID:
company.secretary@eil.co.in
Ph: 011-26762121

Place: New Delhi

For Engineers India Limited

Date: 7th August, 2018

(Narendra Kumar)
Compliance Officer

Appeal to Members

Green Initiative in Corporate Governance

We solicit your valuable cooperation and support in our endeavour to contribute our bit to the environment and it is earnestly requested again that the Members who have yet not registered/updated their e-mail ids to notify the same to the Company at eil.annualreport@eil.co.in or to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company or to the concerned depository.

CA/2018-2019/22

Business Standard

Wednesday 8th August, 2018

सूचना

अदावाकृत लाभांशों से संबंधित कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण में अनिवार्य हस्तांतरण

यह सूचना कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित, जिसके अनुसार लगातार सात वर्षों या अधिक अवधि के लिए लाभांश का दावा न करने के संदर्भ में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के नाम में सभी शेयरों का हस्तांतरण करना अनिवार्य है, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है। इसके अलावा, आईईपीएफ नियम एवं इसके अधीन संशोधन के अनुसार हम नियमित तौर पर सभी अभुगतेय या अदावाकृत लाभांशों का पूरा विवरण कम्पनी की वेबसाइट और कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) में यह अनिवार्य है कि ऐसे सभी शेयर जिनके संबंध में निरंतर पिछले सात वर्षों से कोई भी भुगतान या दावा नहीं किया गया है, ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरित किया जाएगा। कम्पनी ने ऐसे सभी शेयरधारकों को उनके उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत रूप से 07.08.2018 को सूचना भेज दी है जिनके कथित नियमों के अनुसार आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने हैं। कम्पनी ने ऐसे शेयरों के पूर्ण विवरण फोलियो नं./डीपी एवं क्लाइंट आईडी तथा आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों को पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट www.engineersindia.com पर अपलोड किए हैं। वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए अंतरिम लाभांश के संबंध में अभुगतेय या अदावाकृत लाभांश पहले ही पूर्ववर्ती आईईपीएफ नियमों के अनुसार आईईपीएफ को हस्तांतरित कर दिया गया है।

यदि हमें उपरोक्त कथित पत्राचार के उत्तर में आपसे 07.11.2018 (आईएसटी सायं 5.00 बजे) तक कोई दावा प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी द्वारा आपके सभी संगत शेयर (चाहे भौतिक प्रारूप से धारित हों या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप से धारित हों) को कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अनुपालन में हस्तांतरण की तय तिथि से 30 दिनों के अंदर बिना कोई और सूचना दिए आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। शेयरधारक कृपया ध्यान रखें कि आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित शेयरों तथा लाभांशों के संदर्भ में कंपनी पर कोई दावा निहित नहीं होगा और आईईपीएफ प्राधिकरण में ऐसे शेयरों के हस्तांतरण के बाद सभी भावी लाभ जो इसके अधीन उपार्जित हैं, जिसमें भविष्य का लाभांश भी शामिल है, आईईपीएफ के पास जमा होंगे। आप कृपया नोट करें कि उपरोक्त-संदर्भित हस्तांतरण के पश्चात आईईपीएफ प्राधिकरण से वापसी का दावा केवल उपरोक्त कथित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा सकता है और इस संबंध में एक लिंक कम्पनी की वेबसाइट पर निवेशक खण्ड के अधीन दिया गया है।

आपकी जानकारी के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 के प्रावधान कम्पनी की वेबसाइट www.engineersindia.com पर निवेशक खण्ड के अंतर्गत उपलब्ध है।

किसी भी स्पष्टीकरण या सहायता के लिए हमें लिख सकते हैं।

<p>(i) श्री मोहम्मद मोहसिनूद्दीन वरिष्ठ प्रबंधक यूनित: इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गचिबाउली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 ई-मेल mohsin.mohd@karvy.com फोन: 040-6716 1562</p>	<p>(ii) श्री नरेन्द्र कुमार अनुपालन अधिकारी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआई हाउस, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 ई-मेल: company.secretary@eil.co.in फोन: 011-26762121</p>
--	--

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 7 अगस्त, 2018

इंजीनियर्स लिमिटेड के लिए
(नरेन्द्र कुमार)
अनुपालन अधिकारी

सदस्यों से अपील

कॉर्पोरेट अधिशासन में हरित पहल

पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए हम आपके बहुमूल्य सहयोग एवं समर्थन का आग्रह करते हैं और पुनः यह अनुरोध किया जाता है कि जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट नहीं कराये हैं, वे इन्हें eil.annualreport@eil.co.in पर कम्पनी के पास या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट या संबंधित डिपॉजिटरी को भेजकर सूचित करें।